

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 633/14
 संस्थापन दिनांक:-18/09/14
 फाईलिंग नं. 233504002402014

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

रिवनलाल पिता हीराचंद सिरसाम
 उम्र 42 वर्ष, निवासी झिरीखापा,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 23.08.2017 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 323(दो कांउट में), 506 भाग-दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 13.08.2014 को समय दोपहर 01:30 बजे या उसके लगभग ग्राम झिरीखापा बाबूराव सिरसाम के घर के पास गली में थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी पूरन उड़के और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी पूरन उड़के को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा आहत सीमा को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी पूरन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 13.08.2014 को बाबूराव सिरसाम की दुकान से बीड़ी लेकर वापस जा रहा था तभी बाबूराव के घर के सामने गली में अभियुक्त रिवनलाल मिला और उसे मादरचोद तू बहुत बड़ा भगत बन गया है कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादी द्वारा उसे गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसे हाथ थप्पड़ से दोनों गाल में तथा पीठ में घूसा मारा और धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसे कमर के पीछे चोट आयी। उसकी पत्नी के द्वारा बीच बचाव करने पर अभियुक्त ने उसे भी गंदी गंदी गालियां दिया और धक्का देकर गिरा दिया जिससे उसकी पत्नी के गले में चोट आयी। अभियुक्त ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 636/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया

गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
2. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
3. क्या इससे फरियादी एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
4. क्या घटना के समय अभियुक्त ने फरियादी पूरन उइके को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा आहत सीमा को धक्का देकर गिराकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
5. क्या ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
6. क्या अभियुक्त ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
7. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02, 03 एवं 06 का निराकरण

5 पूरन (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि अभियुक्त ने घटना के समय उसे मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। साक्षी सीमा (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना

के समय अभियुक्त गंदी गंदी गालियां दे रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

6 साक्षी/फरियादी पूरन (अ.सा.-1) एवं सीमा (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्त द्वारा किन-किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामकिशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

7 अभियुक्त द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त के विरुद्ध धारा-506 भाग-2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 04 एवं 05 का निराकरण

8 पूरन (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने उसे कॉलर पकड़कर गिरा दिया था। उसे हाथ मुक्कों से मारा जिससे उसे सिर और पैर में चोट आयी थी। अभियुक्त ने उसकी पत्नी सीमा को भी धक्का देकर गिरा दिया था। सीमा (अ.सा.-2) ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके पति के साथ मारपीट की थी जिससे उसे पैर में चोट आयी थी। अभियुक्त ने उसे भी धक्का मारकर गिरा दिया था जिससे उसे कंधे पर चोट आयी थी।

9 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने दिनांक 13.08.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत पूरन का परीक्षण किये जाने पर आहत की पीठ एवं सिर पर दर्द होना तथा आहत सीमा के परीक्षण के दौरान आहत की गर्दन के दाहिनी तरफ 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच का निशान तथा आहत की छाती में दर्द पाया था। साक्षी ने उसके द्वारा तैयार चिकित्सकीय प्रतिवेदन प्रदर्श प्री-4 एवं प्रदर्श पी-5 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है।

10 रहमतसिंह (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 13.08.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी पूरन की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 636/14 में (प्रदर्श

प्री-1) का प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेख किया जाना प्रकट किया है।

11 बिसनसिंह (अ.सा.-3) ने दिनांक 13.08.2014 को पुलिस थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 636/14 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 17.08.2014 को घटना स्थल का मौका नक्शा प्रपी-2 तथा दिनांक 18.08.2014 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श प्री-3) का गिरफ्तारी पत्रक बनाना प्रकट करते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि किसी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में चरण (अ.सा.-6) एवं रिंझीलाल (अ.सा.-7) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रिवनलाल और पूरन के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। उपर्युक्त दोनों साक्षियों से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अवसर दिये जाने के बाद भी बचाव पक्ष ने साक्षीगण का प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। उपर्युक्त दोनों साक्षियों ने अभियुक्त रिवनलाल और फरियादी पूरन के बीच में झगड़ा होना बताया है। साक्षीगण के कथन अखंडित हैं। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के कथनों से अभियोजन को इतनी सहायता तो प्राप्त होती है कि अभियुक्त एवं फरियादी के बीच में विवाद हुआ था। अतः बचाव अधिवक्ता का यह तर्क कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है उचित प्रतीत नहीं होता है।

14 पूरन (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय गांव में किराना दुकान से सामान लेकर लौट रहा था तभी अभियुक्त ने उसके साथ झूमा झटकी की, उसका पीछा किया, उसे खेत तक पहुंचा दिया फिर उसे हाथ मुक्के से मारा जिससे उसके सिर एवं पैर में चोट आयी। उसकी पत्नी सीमा बचाने के लिए आयी तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया। सीमा (अ.सा.-2) ने भी साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि उसका पति किराना दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। तभी अभियुक्त उसके पति को मार रहा था वह बचाने के लिए गयी तो उसे भी मुक्का मारकर गिरा दिया।

15 पूरन (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताया है कि उसे गिरने के कारण चोट आयी थी। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि

अभियुक्त के शराब के नशे में होने के कारण धोखे से धक्का लग गया था। स्वतः में साक्षी ने कहा है कि अभियुक्त ने जानबूझकर मारा था। सीमा (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह खेत पर थी। साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ने उसके पति के साथ गांव में भी झगड़ा किया था लेकिन वहां पर उसने बीच बचाव नहीं किया था, खेत के पास किया था।

16 साक्षी पूरन (अ.सा.-1) एवं सीमा (अ.सा.-2) के कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण अभियुक्त द्वारा मारपीट किये जाने के तथ्य पर स्थिर हैं। यद्यपि उपर्युक्त दोनों साक्षियों ने बढ़ाचढ़ाकर कथन किये हैं परंतु सामान्यतः मानवीय स्वभाव के अनुरूप हर व्यक्ति घटना को बढ़ाकर ही बताता है। मात्र अतिशयोक्तिपूर्ण कथन करने से अभियोजन का मामला संदेहास्पद नहीं हो जाता है। यद्यपि फरियादी पूरन के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी प्रत्यक्षदर्शी चोट नहीं आयी है परंतु यह उल्लेखनीय है कि धारा 323 भा.दं.सं. के लिए कोई बाहरी चोट होना आवश्यक नहीं है। मात्र शारीरिक पीड़ा होना भी उपहति की परिभाषा में आता है। पूरन एवं सीमा ने जिस जगह पर चोट आना बताया है चिकित्सकीय परीक्षण में वहां पर दर्द होना पाया गया है। इस प्रकार साक्षीगण की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित है। घटना दिनांक 13.08.2014 की दोपहर 01:30 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट उसी दिन घटना के तत्काल पश्चात शाम 06:00 बजे कर दी गयी है जिससे कि अभियुक्त को मिथ्या आलिप्त किये जाने की संभावना भी प्रकट नहीं होती है। फलतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने फरियादी पूरन एवं आहत सीमा की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

17 अभियुक्त के द्वारा अत्यन्त तुच्छ बात पर फरियादी पूरन के साथ एवं उसका बचाव करने आयी उसकी पत्नी आहत सीमा के साथ हाथ मुक्के से मारपीट किया जाना, उसके स्वेच्छया आचरण को दर्शित करता है। ऐसा कोई तथ्य भी अभिलेख पर नहीं है कि अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया हो।

विचारणीय प्रश्न क. 07 का निराकरण

18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी पूरन उड़के और अन्य को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी पूरन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी पूरन उड़के एवं आहत सीमा के साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्त रिवनलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 506 भाग-दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा धारा 323(दो काउंट में) भा.दं.सं. के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध मारपीट करने का मामला प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा फरियादी एवं आहत के साथ मारपीट कर उन्हें उपहति कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। हस्तगत प्रकरण में आरोपी एवं फरियादीगण एक ही ग्राम के निवासी हैं एवं घटना में फरियादी एवं आहत को साधारण प्रकृति की चोट आना प्रमाणित हुई है। अपराध की प्रकृति एवं मामले की सम्पूर्ण परिस्थितियों पर विचारोपरांत अभियुक्त को केवल न्यायालय उठने तक के कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किए जाने में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्त को धारा 323(दो काउंट में) भा.दं.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिये प्रत्येक काउंट में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/-कुल 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम में किया जाता है तो उसे 15 दिवस का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 चूंकि प्रकरण में फरियादी एवं आहत पति-पत्नी है। अतः धारा 357(1) दं.प्रं.सं. के अंतर्गत अर्थदंड की संपूर्ण राशि फरियादी पूरन पिता पारधी गोंड निवासी झिरीखापा थाना आमला, जिला बैतूल को प्रतिकर स्वरूप अपील अवधि पश्चात प्रदान किये जावे। अपील होने के दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

24 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)